

2

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा
क्रमांक:- राजस्व/2020/1421

दिनांक 21/10/2020

:- आदेश :-

प्रार्थीगण हटेसिंह, उम्मेदसिंह, मोहब्बतसिंह, बाबूसिंह पिता मदनसिंह जाति जैन निवासी पिड़ावा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल मायाखेडी तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नम्बर 57 रकबा 8.1600 खाते दर्ज है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पिड़ावा से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 55 पर कारूलाल पि. नन्दा वगै. , ख.नं. 56 पर कैलाशचन्द पि. भंवरलाल वगै0 एवं ख.नं. 57 पर प्रार्थी हटेसिंह पि. मदनलाल वगै. का कब्जा काश्त है। DILRMP योजना के तहत नक्शा शीट में तरमीम होने के बाद नक्शे में ख.नं. 55 के बजाय 57 , ख.नं. 56 के बजाय 55 एवं ख.नं. 55 के बजाय 56 अंकित कर दिया गया जो कि शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जिस बाबत तहसीलदार पिड़ावा द्वारा तरमीम शुद्ध करने की अनुशंसा की है।

अतः प्रार्थी के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पिड़ावा, पटवारी मायाखेडी व भू-अभिलेख निरीक्षक पिड़ावा की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्बत् 2074-2077 के खसरा नं. 55 की जगह ख.नं. 56 , खसरा नं. 56 (ख.नं. 307/56 व ख.नं. 306/56) की जगह ख. नं. 57 एवं ख.नं. 57 की जगह ख0नं0 55 नक्शा शीट में तरमीम शुद्ध किये जाने की आज्ञा एद्द द्वारा प्रदान की जाती है।

(मनीषा तिवारी)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़

दिनांक 21/10/2020

क्रमांक:- राजस्व/2020/1422-23
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु।
2. प्रार्थी श्री बाबूसिंह पि. मदनसिंह जैन वगैरह निवासी पिड़ावा को सूचनार्थ।



(मनीषा तिवारी)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)